जनपद - संतकबीरनगर **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनॉक 01.03.2023**

आज दिनांक 01.03.2023 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर **श्री अखिल कुमार** पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती **श्री आर0के0 भारद्वाज** के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **श्री सत्यजीत गुप्ता** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य–

फरार चल रहे वारंटी अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान 02 नफर वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **श्री सत्यजीत गुप्ता** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत 02 नफर वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, विवरण निम्नवत हैः-

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त नाम पता विनोद पुत्र भगवान निवासी भीटी हरदो थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री रामाराव, उ0नि0 श्री श्रीराम पटेल, का0 अनिरुद्ध प्रसाद।

थाना महुली पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त नाम पता आदित्य पुत्र रामशब्द निवासी शनिचरा पूर्वी थाना महुली जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर मा. माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तारी करने वाले पुलिस बल का विवरण – उ0नि0 श्री श्रवण कुमार पाण्डेय, का0 राजन कुमार।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 3313 द्वारा मारपीट / विवाद को कराया गया शान्त व मारपीट में घायल 02 लोगों को पहुंचाया गया अस्पताल– पीआरवी 3313 को थाना मेंहदावल क्षेत्रांतर्गत मलिक जोत से इवेन्ट संख्या 10601 से कालर ने किसी बात को लेकर दो पक्षो में मारपीट / विवाद होने से 02 व्यक्तियों 1- मो0 गयास पुत्र नूरुल हसन 2- आसमा खातून पत्नी मो0 गयास निवासीगण मलिकजोत थाना मेहदावल जनपद सन्तकबीरनगर के घायल होने के संबंध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर 07 मिनट में पहुंचकर विवाद को शान्त कराकर मारपीट में घायल लोगों को एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल में भर्ती कराया गया तथा घटना के सम्बन्ध में थाना मेंहदावल

को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर मारपीट में घायल लोगों को अस्पताल भेजवाकर उनकी जान बचाई गई, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।
पीआरवी स्टाफ –आ0 अमन सिंह, हो0चा0 पंकज पाण्डेय।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 61 वाहनो से 54,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 01.03.2023 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 61 वाहनों से 54,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।